(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक आरएन/7-4/1118/1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-08-1994 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 213/1993-94/अपील ।

रसूल पिता करीम चौकीदार
निवासी देवलगांव तहसील खरगोन
जिला प0निमाड़

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
तर्फे अतिरिक्त तहसीलदार खरगोन

.....अनावेदक

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक-आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक-अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-08-1994 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम घुघरियाखेडी तहसील खरगोन के ग्रामवासियों द्वारा कोटवार रसुल खॉ पिता करीम खॉ के विरूद्ध तहसील न्यायालय के समक्ष एक शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम कोटवार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं

कर कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही कर रहा है । शिकायत के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर जॉचोपरांत दिनांक 24-9-1993 को आदेश पारित कर कोटवार रसूल खॉ को कर्त्तव्यों का घोर उल्लंघन करने का दोषी पाते हुये कोटवार पद से पृथक किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1-10-1993 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18-8-1994 को आदेश पारित अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 230 के नियम 4, 5 व 6 पर विचार नहीं कर अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है, इसलिये भी तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायत के आधार पर आवेदक को कोटवार पद से पृथक किया गया है शिकायत की विस्तृत जॉच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की जाकर अन्यायपूर्ण आदेश पारित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक को संहिता धारा 230 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई उस पर आवेदक को नियमानुसार निम्न शास्ति से दण्डित किया जा सकता था परन्तु उनके द्वारा सेवा से पदच्युत का आदेश देने में अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक तहसील न्यायालय में उपस्थित हुआ है इसलिये यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि आवेदक को विधिवत् सूचना पत्र नहीं दिया

गया है । आवेदक यदि चाहता तो तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर उसके खिलाफ लगाये गये आरोपों के समर्थन में खण्डन साक्ष्य प्रस्तुतकर सकता था इस प्रकार की कार्यवाही न आवेदक अनुपस्थित रहा है । तहसीलदार के समक्ष ग्राम के वासियों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि आवेदक अपने कोटवार पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक ढँग से नहीं करता है एवं ग्राम की जनम एवं मृत्यु की जानकारी की रिपोर्ट तक भी थाने में दर्ज नहीं करता है । तहसील न्यायालय द्वारा जॉच में आवेदक का आचरण उचित नहीं पाया गया है इसलिये आवेदक की सेवाएं समाप्त करने संबंधी आदेश उचित है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा यथावत् रखा गया है । अत: इस संबंध तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-08-1994 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-08-1994 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर